an>

Title:Need to provide additional funds for National Rural Drinking Water Development in Nagaur district of Rajasthan.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ज़ीरो आवर में बोलने का अवसर दिया।

मैं पूरे राजस्थान की एक समस्या के बारे में, सदन को और माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ। 65वें संविधान संशोधन के पश्चात् पूरे पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत बनाने के लिए काफी अधिकार दिये गये और इन अधिकारों में से स्वास्थ्य विभाग, जलदायी विभाग तथा अन्य विभागों के कार्य इनके हाथ में दिये गये। लेकिन इनको धनराशि या फाइनैंशियल अधिकार नहीं दिये गये। इस कारण पीएवईडी विभाग से संबंधित जो काम इनको सौंपे गये थे, वह यह था कि ग्रामीण क्षेत्र की जो पेय जल व्यवस्था है, पेय जल संबंधी जो कार्य हैं, वे पंचायतों को दिये गये। राजस्थान में भी पंचायतों को ग्रामीण पेय जल संबंधी काम दिया गया और इसका राजस्थान में नाम था- जनता जल योजना। इस योजना के तहत पंचायत को अपने ट्यूबवेल चलाने, मोटर पम्प रखने, बिजली बिल का भुगतान करने आदि का काम पंचायतों के जरिये दिया गया। यदि कोई मशीन खराब हो जाती है, तो उसे भी ठीक करना उनका काम था। लेकिन कुछ अंतराल में पंचायतें इन कार्यों को करने में सक्षम नहीं रहीं क्योंकि उनके पास धन की कमी थी। भारत सरकार की ओर से कोई पैकेज नहीं दिया गया था। इस कारण से आज की तारीख में राजस्थान की अधिकांश पंचायतों में पेय जल व्यवस्था ठप है। जनता जल योजना काफी दुर्गती की हालत में है।

मैं आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्री, पेय जल मंत्री और पंचायती राज मंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जनता जल योजना को, हालांकि यह योजना राजस्थान सरकार की है, लेकिन चूंकि पंचायतों को संगठित करना, सुदृढ़ करना, पंचायतों को स्वायतता देना भारत सरकार का कार्य है। भारत सरकार के द्वारा 65वाँ संविधान संशोधन लाया गया है। ऐसे समय में मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान को एक विशेÂा पैकेज दें ताकि आज तक जो जनता जल योजना का पेमेंट बकाया है, उसे पंचायतें चुकाये और उसके बाद आगे का कार्य राजस्थान सरकार स्वयं देखें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।